न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्वा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 60 / 2023 FSSA

1. सरकार जरिये डॉ0 मदनलाल गूजर खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा । — आवेदक—

बनाम

1. श्री विवेक कुमार अग्रवाल पुत्र श्री राधेश्याम अग्रवाल विक्रेता मैसर्सः—विदेह एन्टरप्राइजेज बांदीकुई रोड सिकन्दरा जिला दौसा निवासी अग्रवाल कॉलोनी सिकन्दरा जिला दौसा।
2. श्री राधेश्याम अग्रवाल पुत्र श्री नारायण अग्रवाल मालिक
एफबीओ मैसर्स विदेह एन्टरप्राइजेज बांदीकुई रोड सिकन्दरा जिला दौसा निवासी अग्रवाल कॉलोनी सिकन्दरा जिला दौसा।

— अभियुक्तगण—

जुर्म अन्तर्गत एफएसएस की धारा 26 की उप धारा 2(II) एवं दंडनीय धारा 52

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: श्री किशन लाल गुर्जर अधिवक्ता अप्रार्थीगण उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 06.12.2023

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ0 मदनलाल गूजर ने दिनांक 04.05.2023 को 01:31 पीएम पर मैसर्सः—विदेह एन्टरप्राइजेज बांदीकुई रोड सिकन्दरा जिला दौसा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय वहां श्री विवेक कुमार अग्रवाल पुत्र श्री राधेश्याम अग्रवाल मिला। जिसको अपना परिचय दिया तथा पूछने पर श्री विवेक कुमार अग्रवाल ने स्वयं को मैसर्सः—विदेह एन्टरप्राइजेज बांदीकुई रोड सिकन्दरा जिला दौसा का विक्रेता होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र दिखाया तथा श्री राधेश्याम अग्रवाल को उक्त फर्म का प्रोपरायटर होना बताया। निरीक्षण के समय फर्म पर अन्य खाद्य पदार्थो के साथ नमकीन मिक्सर कल्प स्पेशल ब्राण्ड (Namkeen Mixture Kalp Special Brand) प्लास्टिक के कट्टे में 400—400 ग्राम के 25 पैकेट रखे हुये पाये। जिसका निरीक्षण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो विक्रेता श्री विवेक कुमार अग्रवाल को नियमानुसार फार्म 5 ए की सूचना देते हुये विक्रेता व गवाहान के फॉर्म 5 ए पर हस्ताक्षर करवाते हुये खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये तथा फार्म 5 ए की एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को यह बताया कि यह खाद्य पदार्थ नमकीन मिक्सर कल्प स्पेशल ब्राण्ड (Namkeen Mixture Kalp Special Brand) वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य पदार्थ नमकीन मिक्सर कल्प स्पेशल ब्राण्ड (Namkeen Mixture Kalp Special Brand) 400—400 ग्राम के 4 पैकेट साफ प्रिन्टेड वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु खरीदा। जिसकी कीमत विक्रेता को उनके मांगे अनुसार बाजार भाव से 220/—(अक्षरे दो सौ बीस रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता व गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा चयन किये गये खाद्य पदार्थ नमकीन मिक्सर कल्प स्पेशल ब्राण्ड (Namkeen Mixture Kalp Special Brand) को विक्रेता एवं गवाहान को दिखाकर 400—400 ग्राम को इलेक्ट्रॉनिक मापक मशीन से तुलवाकर अलग—अलग चार साफ व सूखे प्लास्टिक डिब्बों में रखकर प्रत्येक डिब्बे के ढक्कन लगाकर एयरटाईट बन्द किया तथा नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार किये एवं चारो नमूना भागों के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

लेने का दिनांक व स्थान व लिये गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक एजी–3448 अंकित किया तथा प्रत्येक लेबल पर विक्रेता तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारो नमूना भागों को अलग–अलग एक खाकी कागज मे लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. दौसा की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप नम्बर एजी–3448 को नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से उपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार करवाकर चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। मैसर्स विदेह एन्टरप्राईजेज बांदीकुई से नमकीन मिक्सर कल्प स्पेशल ब्राण्ड (Namkeen Mixture Kalp Special Brand) का नमूना क्रय करते समय विक्रेता श्री विवेक कुमार अग्रवाल ने मौके पर बतौर वारन्टी कोई खरीद बिल नहीं उपलब्ध करवाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपडी कर नियमानुसार तैयार किया। दो फार्म संख्या 6 की प्रतियां अलग से एक लिफाफे मे बन्द कर चपडी से सील मोहर कर नियमानुसार तैयार किये तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को नमूने का एक तैयारशुदा भाग व बन्द लिफाफा जमा करवाया शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को जमा करवाया। डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा ने श्री महादेव प्रसाद सैनी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कायार्लय CM&HO दौसा को भेजकर दिनांक 05.05.2023 को खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अलवर को तैयार शुदा नमूना व सम्बन्धित दस्तावेज जमा करवाये। नमूने के शेष दो भाग व चौथा भाग डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को दिनांक 05.05.2023 को जमा करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को खाद्य विश्लेषक अलवर से उक्त खाद्य पदार्थ नमकीन मिक्सर कल्प स्पेशल ब्राण्ड (Namkeen Mixture Kalp Special Brand) की जॉच रिपोर्ट संख्या एल. एस. / 847 / एक्ट / 2023 / 869 दिनांक 17.05.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना मिथ्याछाप (Misbranded) स्तर का पाया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर न्याय निर्णय आवेदन पत्र खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्तगण की गई। अप्रार्थीगण की और से अधिवक्ता श्री किशन सिंह गुर्जर उपस्थित आये एवं जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अधिवक्ता अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस. / 847 / एक्ट / 2023 / 869 दिनांक 17.05.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ नमकीन मिक्सर कल्प स्पेशल ब्राण्ड (Namkeen Mixture Kalp Special Brand) के नमूना की जांच रिपोर्ट में यह बताया गया है कि उक्त खाद्य पदार्थ के लेबल पर केवल मात्र **Edible Veg. Oil** अंकित किया गया है। कम्पनी द्वारा उत्पाद के लेबल पर यह उल्लेखित नहीं किया गया है कि उक्त उत्पाद को तैयार करते समय किन–किन पदार्थो का उपयोग किया गया है। जिसके कारण यह पदार्थ **Regulation No. 2.5.2(d) FSS(Labelling and display) Regulation 2020** का उल्लंघन होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के सेक्शन 3(1)(zf)(c)(i) के अन्तर्गत मिथ्याछाप (Misbranded) स्तर का पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) स्तर का खाद्य पदार्थ नमकीन मिक्सर कल्प स्पेशल ब्राण्ड (Namkeen Mixture Kalp Special Brand) का विक्रय कर मा नक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(II) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी अभियुक्तगण को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा बहस के दौरान जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया गया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सैम्पल लेने की कार्यवाही विधि अनुरूप नहीं की गई है। मौके पर कोई स्वतंत्र साक्षी के हस्ताक्षर नहीं कराये गये है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस्तगासे में कही भी यह नहीं बताया गया है कि यह नमूना किस बात के लिये मिसब्राण्ड माना गया है। फूड एनालिस्ट की रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थीगण के प्रोडक्ट की गुणवत्ता बिन्दु संख्या 1 से 10 तक खाद्य सुरक्षा एवं मानक रेगुलेशन 2011 के मुताबिक बिल्कुल सही है। केवल मात्र यह लिखते हुये कि किस खाद्य तेल का उपयोग किया है केवल खाद्य योग्य होना तो माना है किन्तु उसकी कम्पनी न होना मानकर मिसब्राण्ड माना है। जिससे अप्रार्थीगण के विरूद्ध किसी भी प्रकार का कोई प्रकरण नहीं बनता है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र/इस्तगासा खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस./847/एक्ट/2023/869 दिनांक 17.05.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ नमकीन मिक्सर कल्प स्पेशल ब्राण्ड (Namkeen Mixture Kalp Special Brand) के लेबल पर नियमानुसार अपेक्षित सम्पूर्ण जानकारी अंकित नहीं होने से यह नमूना जांच रिपोर्ट में **Regulation No. 2.5.2(d) FSS(Labelling and display) Regulation 2020** का उल्लंघन होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के सेक्शन 3(1)(zf)(c)(i) के अन्तर्गत मिथ्याछाप (Misbranded) स्तर का पाया गया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) स्तर के खाद्य पदार्थ नमकीन मिक्सर कल्प स्पेशल ब्राण्ड (Namkeen Mixture Kalp Special Brand) का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने से अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 1 श्री विवेक कुमार अग्रवाल पुत्र श्री राधेश्याम अग्रवाल विक्रेता मैसर्स विदेह एन्टरप्राइजेज बांदीकुई रोड सिकन्दरा जिला दौसा निवासी अग्रवाल कॉलोनी सिकन्दरा जिला दौसा एवं अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 2 श्री राधेश्याम अग्रवाल पुत्र श्री नारायण अग्रवाल मालिक एफबीओ मैसर्स विदेह एन्टरप्राइजेज बांदीकुई रोड सिकन्दरा जिला दौसा निवासी अग्रवाल कॉलोनी सिकन्दरा जिला दौसा पर 5000/-(अक्षरे पांच हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 06.12.2023 के एक माह के अन्दर-अन्दर निर्धारित मद में जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 06.12.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(राजकुमार कस्वा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक/FSSA/ 2023/ दिनांकः- 06.12.2023

प्रतिलिपिः- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री विवेक कुमार अग्रवाल पुत्र श्री राधेश्याम अग्रवाल विक्रेता मैसर्सः-विदेह एन्टरप्राइजेज बांदीकुई रोड सिकन्दरा जिला दौसा निवासी अग्रवाल कॉलोनी सिकन्दरा जिला दौसा।
4. श्री राधेश्याम अग्रवाल पुत्र श्री नारायण अग्रवाल मालिक एफबीओ मैसर्स विदेह एन्टरप्राइजेज बांदीकुई रोड सिकन्दरा जिला दौसा निवासी अग्रवाल कॉलोनी सिकन्दरा जिला दौसा।

(राजकुमार कस्वा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा